न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/163/2014 वाद — दायर दिनांक 03.11.2014

उनवान

1. मु0 गीताबाई पत्नी बन्शीलाल जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. बन्शीलाल पिता भैरुलाल जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

1. शंकर पिता भैरूलाल जाति चमार उम्र वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. शान्तीलाल पिता भैरूलाल जाति खटीक निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. देव किशन पिता गणेश जाति चमार उम्र वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच —वादीगण

एकतरफा —प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत 53, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः 29.11.2022

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि वाके मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन के हल्के बैरुनी के हाल जमाबन्दी दर्ज आराजी सं0 630 रकबा 0.40 हैक्टर लगानी 14—80 पैसा, आ0 सं0 631 रकबा 0.46 हैक्टर, लगानी 17—02 पैसा कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 हैक्टर कुल लगानी 31—82 पैसा स्थित है जो वादी सं0 1 के 1/4 व वादी सं0 2 के 1/4 व प्रतिवादी सं0 एक के 1/4, प्रतिवादी सं0 दो के 1/4 हकसे दर्ज है व लगान सामील मे जमा कराते है ।

यह कि इसी अनुसार वाद कॉलम एक उल्लेखित आराजीयात के साथ ग्राम लांगच हल्के बैरूनी मे चाह सं0 629 रकबा 0.07 हैक्टर भी स्थित है जिसमे वादी सं0 एक का 1/6, वादी सं0 दो का 1/12, प्रतिवादी सं0 एक का 1/6, प्रतिवादी सं0 दो का 1/12, प्रतिवादी सं0 तीन का 1/2 हिस्सा दर्ज निहित है। कुएं की छूट रकबा सामलाती उपयोग उपभोग की है।

यह कि वाद कालम एक उल्लेखित आराजीयात का कानूनी बंटवाडा नही हुआ इसी अनुसार अन्दाज से अलग अलग जोते बोते है, काश्त करते है, जिसके पुख्ता निशानीयात भी नही है, मुक्कमल बंटवाडा नहीं होने से वादी प्रतिवादी के बीच आराजीयात के हिस्से सीमा, जोने बोने, सामलाती लगान जमा कराने बाबत् अक्सर विवाद है वादीगण को आराजी को आबादान करने, हिस्से में ट्यूबवेल खुदाने के लिये भी आराजीयात निहित हिस्से का बंटवारा की जरूरत है वादीगण, प्रत्येक का 1/4 हिस्सा जुज होकर मौके पर एक है दोनो का जुमला 1/2 हिस्सा एक साथ बंटवाडे मे रखने की प्रार्थना है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:40:59 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि वाद कालम दो उल्लेखित सामलाती चाह व चाह की छूट का उपयोग उपभोग सामलाती करते है। चाह की छूट मे कुए का फैरा, धाबड़ा वादीगण की आराजी में जाने आने का रास्ता कायम है इसका सामलाती उपयोग उपभोग करने उक्त छुट मे से कायम रास्ते को बन्द करने की धमकी, लडाई झगडा प्रतिवादी सं0 1 व 3 अक्सर करते है प्रतिवादी सं0 3 देव किशन व उसके परिवार वालो ने उक्त चाह की छूट की भुमि से वादीगण को बेदखल करने की धमकी तारीख 01.05.2014 को दी व उक्त छूट मे से आराजीयात में आने जाने के रास्ते में आडे कांटा, छडीया, थुहर लगाने का प्रयास किया जिसको रोका तो झगडा किया जिससे प्रतिवादीगण खातेदारान के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा बह्क वादीगण दिलाया जाना जरूरी है कि प्रतिवादीगण वादीगण को उक्त चाह व चाह की छूट की भूमि का उपयोग उपभोग करने से न रोके न बेदखल करे व किसी भी प्रकार का नुकसान नही पहूंचावे व कायम रास्ते को आने जाने, टैक्टर, ट्यूबवेल की मशीन को आने जाने से न रोके वरना वादीगण को बेशुमार नुकसान होगा जिसकी पूर्ति रूपयो मे नही होगी स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार का नुकसान नही है उक्त चाह पर वादी का निजी कृषि विद्युत सम्बन्ध व वाटर पम्प लगा है उसे भी किसी प्रकार से नुकसान नही पहुंचावें ।

यह कि प्रतिवादीगण ने दिनांक 01.05.2014 को मुक्कमल बंटवाडा नही होने व चाह की छूट उपयोग उपभोग बाबत झगडा किया जिससे बिनाय दावा पैदा होकर उपरांकित अनुसार बनी हुई है।

अन्त में वादीगण ने प्रार्थना की कि–

– बंटवाडा आराजीयात की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की जारी फरमाई जावें कि आराजीयात वाद वर्णित कालम एक का बंटवाडा करा वादीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 जो जुमला हिस्सा 1/2 का मौके कब्जे को नजर रखते हुये बंटवाड़ा फरमा लगानबन्दी अलग फरमावे।

– स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की जारी फरमाई जावे कि वाद कालम दो सामलाती चाह व चाह की छुट मे कायम फैरा, धाबडा, रास्ता के उपयोग उपभोग में वादीगण को किसी प्रकार से नही रोके, उपयोग उपभोग मे बाधा न पहूंचावे, बेदखल न करे, अवरोध न करे, नुकसान न करे व निजी कृषि विद्युत व मोटर पम्प चाह के उपयोग उपभोग मे बाधा न पहूचावे न नुकसान पहुंचावें न ऐसा स्वयं करे न अपने परिवारजन, नौकर, ऐजेन्ट आदि से करावे।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 29.06.2016 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आज दिनांक 29.11.2022 को बटवाड़ा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। आज दिनांक 29.11.2022 को वाद पत्र अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन के हल्के बैरुनी के हाल जमाबन्दी दर्ज आ0 सं0 630 रकबा 0.40 हैक्टर, आ0 सं0 631 रकबा 0.46 हैक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.86 हैक्टर, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 14.07.2016 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. मु0 गीता बाई पत्नि बंशीलाल 1/2, बंशीलाल पिता भैरूलाल 1/2 जाति खटीक सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म	लगान
1	630/1	0.20	चा0 1	7.40
2	631/1	0.23	चा0 1	8.51
योग	कुल किता–2	0.43		15.91

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:40:59 IST
Reason: SelfAttested

2. शंकर पिता भैरूलाल 1/2 जाति चमार, शांतिलाल पिता भैरूलाल 1/2 जाति खटीक सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म	लगान
1	630	0.20	चा0 1	7.40
2	631	0.23	चा0 1	8.51
योग	**कुल किता– 2**	**0.43**		**15.91**

तदनुसार अंकन हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:40:59 IST
Reason: SelfAttested